

(425)
राजस्थान सराकर
नगरीय विकास विभाग

(46)

क्रमांक:-प.3(54)नविवि/3/11पार्ट

जयपुर, दिनांक: 29.10.2012

1. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
3. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम (समस्त), राजस्थान।
6. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :- "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान राजस्व विभाग द्वारा जारी निम्न अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है :-

क्र.सं.	आदेश/अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक	विवरण
1.	प.12(28)राज./मुप-1/2010 दिनांक 26.10.2012	स्थानीय निकायों के कार्यों को सम्पादित करने हेतु पटवारियों/भूअधिकारियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान संबंधित स्थानीय निकाय को किया जावेगा।
2.	क्रमांक प.9(126)राज/6/2012/33 दिनांक 23.10.2012	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1955) की धारा 53 की उप धारा (2)(i) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत भूमि बटवारे के लिए तहसीलदार एवं अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों के संबंध में
3.	क्रमांक प.9(126)राज/6/2012/32 दिनांक 23.10.2012	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की उप-धारा (1) खण्ड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अभियान के कार्य हेतु नियुक्त समस्त नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पर अधिरोपित समस्त कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार के भीतर करने हेतु

संलग्न-उपरोक्तानुसार (तीन)

भवदीय,

(आर.के.पारोक)

उप शासन सचिव-द्वितीय

(325)

47

क्रमांक:-प.3(54)नविवि/3/11पार्ट

जयपुर, दिनांक: 29.10.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान.....
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान.....
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय-विभाग को प्रेषित है कि राजस्व विभाग की उक्त अधिसूचना समस्त स्थानीय निकायों को प्रेषित करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करावें।
8. शासन उप सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नविवि।
9. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव-द्वितीय

राजस्थान सरकार

राजस्व (युप-6) विभाग

क्रमांक: प09(126)राज/6/2012/33

जयपुर, दिनांक 23.10.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 260 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार "प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012" में आयोजित शिविरों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1955) की धारा 53 की उप-धारा (2)(i) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत भूमि बटवारों के लिए तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्वारा अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना "प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012" की अवधि के दौरान ही प्रभावशील रहेगी।

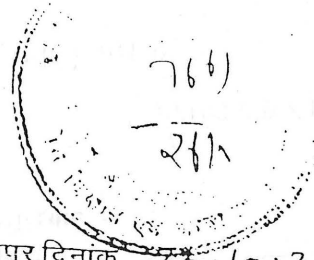
राज्यपाल की आज्ञा से,

(कृष्ण सिंह गोंदवाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग को उनके पत्र क्रमांक -3 (54) त्रिपि/3/2011 दिनांक 10 अक्टूबर 2012 के संदर्भ में भेज कर लेख है कि संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को अपने त्तर पर सूचित करने का कृष्ट करें।
6. सगस्त सभांगीय आयुक्त राजस्थान।
7. सगस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर।
9. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 23.10.2012 में प्रकाशनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-6) विभाग



क्रमांक 009(126)राज/6/2012/32

जयपुर, दिनांक 23.10.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 260 के खण्ड (ख) संपठित धारा 26 उप-धारा (1) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार "प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012" के कार्य हेतु नियुक्त समस्त नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पर अधिरोपित समस्त कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार के भीतर करने हेतु एतद्वारा अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना "प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012" की अवधि के दौरान ही प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(करण सिंह गोडवाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग को उनके पत्र क्रमांक -3 (54) त्रिवि/3/2011 दिनांक 10 अक्टूबर 2012 के संदर्भ में भेज कर लेख है कि संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को अपने स्तर पर सूचित करने का कृष्ट करें।
6. समस्त सभांगीय आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. निम्नक राजस्व मण्डल अजमेर।
9. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र गिरोबांक दिनांक 23.10.2012 में प्रकाशनाथ।
10. शक्ति गणकाली।

उप शासन सचिव

राजस्थान राजस्व
राजस्व(ग्राम) विभाग

5

क्रमांक पी12(28)राज/ग्राम 1/2010

जयपुर, दिनांक 22/10/2012

आदेश

राज्य में प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012 शीघ्र प्रारम्भ होने जा रहा है। अतः अभियान हेतु राज्य के समस्त जिला कलेक्टर अपने-अपने जिलों में स्थानीय निकायों के कार्यों का सही एवं समय पर निस्तारण हेतु पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक जो अपने-अपने हल्कों में कार्यरत हैं, उन्हीं को प्रशासन शहरों के संग अभियान में स्थानीय निकायों के कार्यों को सम्पादित करने हेतु लगावें। उपर्युक्त अतिरिक्त कार्य हेतु पटवारियां/भू0अ0निरीक्षकों को प्रोत्साहन राशि देय होगी। प्रोत्साहन राशि का भुगतान संबंधित स्थानीय निकायों के बजट से किया जायेगा।

ह0

डा0 (श्रीमति) मालोविका पंवार
प्रमुख शासन सचिव राजस्व

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन उप सचिव, स्वायत्त शासन एवं स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
6. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
8. रक्षित पत्रावली

22

शासन उप सचिव

Number

(323)